न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 33/2017
GCMS No. : 2017/00063

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. कालूराम पुत्र तेजाराम जाति– सीरवी, निवासी– रास तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.। 2. सुलेमान पुत्र गुलाब जाति– लौहार, निवासी– रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.21/02/2017

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 10/03/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी की कब्जेकाश्त की कृषि भूमि वादी ने दिनांक 12.01.2011 को पटवार सर्कल रास प्रथम में खसरा नम्बर 293 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से वादी ने विक्रेता सुलेमान के 1/4 हिस्से में से 2550/34630 वां हिस्सा खरीद किया व कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादपत्र के साथ रजिस्ट्री की नकल व जमाबन्दी पेश है। वादी ने पटवार सर्कल रास प्रथम में खरीद की दिनांक से पटवारी हल्का रास प्रथम को एक प्रार्थनापत्र दिनांक 14.01.2011 को पेश कर निवेदन किया कि उक्त रजिस्ट्री अनुसार मेरे हिस्से कि दाखिला तोड़कर राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम दर्ज किया जावें लेकिन पटवारी हल्का रास प्रथम ने वादी को आश्वासन दिया कि उक्त दाखिला तोड़कर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दुगां लेकिन वादी के नाम दाखिला आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में नहीं तोड़ा गया व वादी ने पटवारी हल्का रास प्रथम के कार्यालय में लगातार मांग दाखिला तुड़वाने हेतु चक्कर लगाता रहा है। वादी का आज भी अपने खरीदसुदा काश्त की भूमि पर कब्जा व काश्त है व [illegible] काश्त करता आ रहा है, वादी दिनांक 30.04.2016 को अन्तिम बार पटवारी हल्का रास प्रथम के पास गया व फिर निवेदन किया तब पटवारी [illegible] वादी से कहा कि आप के नाम का दाखिला तुड़वाना हो तो राजस्व लोक अदालत अभियान का दिनांक 12.05.2016 को लोक अदालत है आपका उक्त दाखिला लोक अदालत में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कर देंगे तब वादी दिनांक 12.05.2016 को राजस्व लोक अदालत के समक्ष मय दस्तावेज के व प्रार्थनापत्र के साथ राजस्व अधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

समक्ष अपनी खरीदी हुई कब्जे काश्त की कृषि भूमि का नाम दाखिला तुड़वाने की प्रार्थना कि लेकिन राजस्व अधिकारीयों ने दाखिला तोड़ने से इनकार कर दिया व कहा कि काफी समय हो गया है इसलिये दाखिला तोड़ने से इनकार कर दिया। वादी का दावे के पद संख्या 01 में बतायी गयी कृषि भूमि पर हिस्सेनुसार आज भी कब्जा व काश्त हैं व वादी ने रजिस्टर्ड बैचान के जरीये उक्त कृषि भूमि खरीद की है वादी दावे के पद संख्या 01 में बताई गई खसरा नम्बर कि कृषि भूमि में 5520/346330 हिस्से का एकमात्र मालिकाना हकहकूक रखता है व वादी जरीये रजिस्टर्ड बैचान के उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवानें की घोषणा पाने का कानूनी अधिकारी होनें के कारण घोषणा की डिक्री इसलिए वादी श्रीमान् के समक्ष घोषणा का वाद पेश कर रहा है। अगर वादी के नाम उक्त वाद डिक्री नहीं किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 02 वादी कि खरीद व कब्जा सुदा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देगा जिससे वादी को काफी अर्थिक क्षति होगी व मुकदमेंबाजी बढ़ेगी झगड़ा फसाद उठायेगा इसलिए वादी श्रीमान् के समक्ष मजबुरन घोषणा का वाद पेश कर रहे है जिसमें वादी को सम्पूर्ण रूप से सफल होनें की सम्भावना है। बिनाय वाद दिनांक 12.05.2016 को ग्राम रास में अपने नाम का वादी द्वारा दाखिला तुड़वाने हेतु राजस्व लोक अदालत में राजस्व अधिकारियों के समक्ष पेश करनें पर राजस्व अधिकारियों द्वारा मना करनें पर उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करनें से जवाब दावा बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादग्रस्त आराजी ग्राम रास प्रथम की जमाबन्दी संवत 2069-2072 प्रदर्श P-1, वादग्रस्त आराजी का मूल विक्रय विलेख प्रदर्श P-2 तथा साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 एवं PW-2 प्रदर्श करवाये।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. वादी कालूराम द्वारा ग्राम रास [illegible] के खसरा संख्या 293 रकबा 07-19 बीघा में से खातेदार विक्रेता प्रतिवादी संख्या [illegible] के 1/4 हिस्से में से 5250/346330 वां हिस्सा पंजीकृत [illegible] दिनांक 12.01.2011 को क्रय किये जाने के बावजूद तहसीलदार [illegible] नामान्तरण नहीं खोले जाने तथा भू अभिलेख में बतौर खातेदार प्रविष्टि नहीं [illegible] के कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् हस्तगत वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2. वादग्रस्त आराजी ग्राम रास प्रथम की जमाबन्दी संवत 2069-2072 प्रदर्श P-1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 293 रकबा 07-19 बीघा किस्म बारानी दोयम में ऐमु, हनुमान, सुलेमान पि0 गुलाब हिस्सा 3/4 दर्ज है।

3. वादग्रस्त आराजी का मूल पंजीकृत विक्रय विलेख प्रदर्श P-2 दिनांक 12.01.2011 द्वारा उपपंजियक जैतारण के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार सुलेमान पुत्र गुलाब निवासी ग्राम रास तहसील जैतारण द्वारा अपने खातेदारी आराजी ग्राम रास प्रथम तहसील जैतारण के खसरा संख्या 293 रकबा 07-19 बीघा किस्म बारानी दोयम में अपने हिस्से 1/4 में से 5250/34630 वां हिस्सा वादी/क्रेता कालूराम पुत्र तेजाराम को जरिये पंजीकृत बैचाननामा संख्या 2011000150 दिनांक 12.01.2011 को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदार सुलेमान के 1/4 हिस्से में से 5250/34630 वां हिस्सा क्रय कर लेने से उक्त हिस्से तक खातेदारी अधिकार वक्त क्रय से क्रेता अर्थात वादी में निहित हो चुके है तथा वादी अपने उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का कानूनन अधिकारी है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाद वादी बखूबी साबित होता है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किये गये हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना कानूनन उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 293 रकबा 07-19 बीघा में से खातेदार सुलेमान पुत्र गुलाब के 1/4 हिस्से में से वादी कालूराम पुत्र तेजाराम द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय शुदा 5250/34630वां हिस्सा का वादी कालूराम पुत्र तेजाराम को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, खातेदार सुलेमान पुत्र गुलाब के खसरा संख्या 293 रकबा 07-19 बीघा में 1/4 हिस्से में से विक्रय शुदा 5250/34630वां हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:53:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 10/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इन्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 33/2017

GCMS No. : 2017/00063

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

1. कालूराम पुत्र तेजाराम
जाति– सीरवी, निवासी– रास
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली
राज.।
2. सुलेमान पुत्र गुलाब
जाति– लौहार, निवासी– रास,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली
राजस्थान।

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 33/2017

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व
हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी
पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता
है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते
हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील
जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 293 रकबा 07–19 बीघा में से खातेदार
सुलेमान पुत्र गुलाब के 1/4 हिस्से में से वादी कालूराम पुत्र तेजाराम द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय शुदा 5250/34630वां हिस्सा का वादी कालूराम पुत्र
तेजाराम को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है, खातेदार सुलेमान पुत्र गुलाब
के खसरा संख्या 293 रकबा 07–19 बीघा में 1/4 हिस्से में से विक्रय शुदा
5250/34630वां हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया
जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद किया जावें। पत्रावली इसी
कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/03/2021 को
जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01 -	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03-	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	07-	00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:23 IST
Reason: SelfAttested